

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

दिनांक

अधिसूचना

सं०सं०-09/JAC -04/2015...../ झारखण्ड अधिविद्य परिषद, (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 4 (1) में प्रख्यापित प्रावधान के अन्तर्गत विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा निर्गत एल०जी०-9/2002-06/लेज०1 दिनांक 7 फरवरी, 2007 झारखण्ड अधिनियम 2, 2007 आलोक में अधोलिखित सदस्यों से युक्त झारखण्ड अधिविद्य परिषद का गठन किया जाता है :-

1. अधिनियम की धारा-4(1)(क) - अध्यक्ष
(यथा अधिसूचित)
2. अधिनियम की धारा-4(1)(ख) - उपाध्यक्ष
(यथा अधिसूचित)
3. अधिनियम की धारा-4(1)(ग) - पदेन सदस्य
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची
4. अधिनियम की धारा-4(1)(घ) - पदेन सदस्य
निदेशक, झारखण्ड शिक्षा अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, झारखण्ड, रांची
5. अधिनियम की धारा-4(1)(ड०) - सदस्य
झारखण्ड राज्य की राज्य सरकार द्वारा
चक्रानुक्रम से एक वर्ष के लिए नाम
निर्दिष्ट -
झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालय का एक
प्रतिनिधि
1. रांची विश्वविद्यालय, रांची
2. सिद्धू-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका
3. विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
4. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा
5. निलाम्बर - पिताम्बर विश्वविद्यालय,
मेदिनीनगर, पलामू
6. अधिनियम की धारा-4(1)(च) - श्री अजय कुमार गुप्ता,
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट- +2 नेशनल उच्च विद्यालय, दुमका
माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य - सदस्य
7. अधिनियम की धारा-4(1)(छ) -
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट-ख्याति
प्राप्त विद्यानुरागी

- (क) अनुसूचित जाति
- डॉ० प्रसाद पासवान,
नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट
- सदस्य
- (ख) अनुसूचित जनजाति
- डॉ० नाथू गाड़ी,
व्याख्याता (असिस्टेंट प्रोफेसर), माण्डर
कॉलेज माण्डर, रांची
- सदस्य
- (ग) पिछड़ी जाति
- श्री रामावतार प्रसाद केशरी,
व्याख्याता, राम लखन सिंह यादव
महाविद्यालय, कोडरमा
- सदस्य
- (घ) महिला
- डॉ० पुष्कर बाला,
व्याख्याता, घाटशिला कॉलेज, जमशेदपुर
- सदस्य
- (ड०) अल्पसंख्यक कोटि
- डॉ० हरमिन्दर वीर सिंह,
एसोशिएट प्रोफेसर, डोरण्डा महाविद्यालय,
डोरण्डा, रांची
- सदस्य
- (च) अन्य
- श्री यमुना गिरि,
सेवानिवृत्त उप निदेशक, उच्च शिक्षा
- सदस्य
8. अधिनियम की धारा-4(1)(ज)
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट - 15 वर्षों
के शैक्षणिक या प्रशासनिक अनुभव प्राप्त
संस्कृत विद्वान
- डॉ० दीपचन्द राम कश्यप,
व्याख्याता, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण
महाविद्यालय, रांची (अवकाश प्राप्त)
- सदस्य
9. अधिनियम की धारा-4(1)(झ)
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट - 15 वर्षों
के शैक्षणिक या प्रशासनिक अनुभव प्राप्त
अरबी, फारसी या उर्दू का विद्वान
- मो० एजाज अहमद,
असिस्टेंट प्रोफेसर, एस०एस० मेमोरियल
कॉलेज, रांची
- सदस्य
10. अधिनियम की धारा-4(1)()
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट-
झारखण्ड विधान सभा के तीन सदस्य,
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का
पत्रांक 2982 दिनांक 28.07.2015 के
आलोक में माननीय सदस्यों को नामित
किया जाता है
- 1. श्री स्टीफन मराण्डी, सदस्य, झारखण्ड
विधान सभा
2. श्री नवीन कुमार जायसवाल, सदस्य,
झारखण्ड विधान सभा
3. श्री अनंत कुमार ओझा, सदस्य, झारखण्ड
विधान सभा
- सदस्य

11. अधिनियम की धारा-4(1)(ट) - डॉ० वासुकी यादव,
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट - प्रख्यात वनांचल शिक्षा समिति, शुक्ला कॉलोनी हिनू, रांची
एवं अनुभवी शिक्षाविद - सदस्य
12. अधिनियम की धारा-4(1)(ठ) - श्री संजीत कुमार मिश्र,
10+2 विद्यालय/इंटर कॉलेज प्राचार्य इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, कांके, रांची
- सदस्य

2. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 की धारा 4(3) के आलोक में सदस्यों की पदावधि राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त अथवा शासकीय अधिसूचना निर्गत की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगी।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह/-

(रवि शंकर वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-09/JAC -04/2015...../ दिनांक
प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह/-

(रवि शंकर वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-09/JAC -04/2015...../ दिनांक
प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, रांची/सभी कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह/-

(रवि शंकर वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-09/JAC -04/2015...../ दिनांक 4.01.2016.....
प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, योजना सह वित्त विभाग/अध्यक्ष, झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण/अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सभी विभाग के प्रधान सचिव एवं सचिव, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/संबंधित सभी सदस्यगण एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुल सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवि शंकर वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।